श्री ओम प्रकाश चौटाला : मेरे कहने का भाव यह था कि इस कृषि प्रधान प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की समुचित व्यवस्था हो, उसको लाभप्रद मूल्य मिले, यह सरकार की सोच होनी चाहिए। सरकार को मेरा सुझाव है और इसके लिए मैंने कहा भी है कि बिजली जरूरी थी, लेकिन बिजली का उत्पादन यह सरकार नहीं कर पाई । इस बारे में सरकार की जो योजनाएं हैं वे ठीक हैं, अगर सिरे चढ़ेंगी यह बहुत अच्छी बात होगी यदि उसका फायदा आम आदमी और किसान को मिले। यदि किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी तो हम सरकार की सराहना भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, रहा सवाल सिंचाई का तौ मैं कह रहा था कि अब तक ये किसानों को एक बून्द पानी भी नहीं दे सके हैं। हरियाणा की जीवन रेखा एस.वाई. एल. नहर है और दो साल के अरसे में इस सरकार द्वारा उसकी कोई चर्चा नहीं की गयी कि एस.वाई.एल. नहर बनवाई जानी चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। एस.वाई. एल. नहर की चर्चा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की इसके बारे में इनका खुद का जो रिकार्ड है वह मैं सदन के सामने रख देता हूं। स्पीकर सर, 1985 में राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ था। स्पीकर सर, एस.वाई.एल. नहर के ऊपर आज तक जो भी निर्णय आए हैं उसका श्रेय केवल और केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी को जाता है चाहे 24 मार्च, 1976 का फैसला हो चाहे 1981 का इन्दिरा अवार्ड हो। जुलाई 1985 में राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ तब इराडी कमीशन का गठन हुआ था। जब इराडी कमीशन सुनवाई के लिए तथा हरियाणा प्रदेश के लोगों की व्यथा को जानने के लिए हरियाणा में ट्रैवल किया करता था तब पूरे हरियाणा में चौटाला जी ने स्वयं इस कमीशन को साईमन कमीशन की संज्ञा दी थी तथा उस कमीशन का बायॅकाट किया था। यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने हरियाणा के पक्ष का केस इराडी कमीशन के साथ लड़ा। चौधरी देवी लाल जी ने 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी की मांग रखी थी लेकिन 3.83 मिलियन एकड़ फुट पानी हम लेकर आये और उसके बाद जब हमारी सरकार चली गई और इनकी सरकार 1987 से 1991 तक आई तब चौटाला साहब खुद हरियाणा प्रदेश के

मुख्य मन्त्री थे और इनके पिता जी स्वयं केन्द्र सरकार में उप-प्रधान मंत्री थे, इनके खुद के लगाए हुए गवर्नर पंजाब के अन्दर थे, चौटाला साहब इस बात को भूल गये कि उस वक्त इराडी कमीशन के अवार्ड को इन्होंने ठण्डे बस्ते में डाल दिया था। बादल साहब की चिन्ता इनको फिर सताने लगी कि कहीं बादल साहब के हितों को कोई नुकसान न हो जाए। वर्ष 1987 से 1991 तक इराडी कमीशन और एस.वाई. एल. नहर चौटाला साहब को याद नहीं आई, जब पूरे प्रान्त और देश की सरकार इनके पास थी। स्पीकर सर, चौटाला साहब आज भी बाहर गलत बयानी कर रहे हैं कि इन्होंने केस फाईल किया था। 1995 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्यूट नं० 1 ऑफ 1995 सुप्रीम कोर्ट में डाला था जिसका फैसला आया और हमें पानी का अधिकार मिला। स्पीकर सर, आज फिर हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार लड़ाई लड़ रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका फैसला आयेगा जिसको संविधान की खण्ड पीठ के पास सुप्रीम कोर्ट में भेजा है और हमारा अधिकार दोबारा बहाल होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है कि बाहर जा कर इराडी कमीशन को साईमन कमीशन की संज्ञा दें और इराडी कमीशन का बहिष्कार करें और जब सत्ता में हों तो एस.वाई.एल. नहर का निर्माण न करें। अभी बादल साहब के चुनाव के समर्थन में ये पंजाब गए थे लेकिन ये उनसे इस ईशू पर सही फैसला नहीं करवा पाएंगे। स्पीकर साहब, ये एक बात हाउस के अन्दर करते हैं और हाउस से बाहर दूसरी बात करते हैं। जब इनकी अपनी सरकार होती है उस वक्त इनको किसान याद नहीं आते, एस.वाई.एल. नहर याद नहीं आती लेकिन आज इन को फिर एस.वाई. एल. नहर की याद आ रही है। (विघ्न) जिन लोगों ने इराडी कमीशन को साईमन कमीशन की संज्ञा दी हो उनकी क्या बात सुनें । (विघ्न)

Mr. Speaker : Chautala Ji, you resume your speech. (विघ्न) ज्ञान चन्द जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) पता नहीं क्या बात है आप हर बात पर बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत पेशंस दिखाने वाली बात है। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यह प्रदेश के हित का मामला है। मैं उस अनर्गल बात में नहीं जाना चाहूंगा, जो कुछ सदस्यों ने यहां पर बिना सोचे समझे कही है। जो एक लांछन बार बार लगाया जा रहा है कि हमारे प्रकाश सिंह बादल से पारिवारिक सम्बन्ध है तो मैं आज भी तसलीम करता हूं कि हां हमारे उनके साथ पारिवारिक सम्बन्ध हैं। लेकिन हरियाणा के हितों पर कुठाराघात होता तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सामने हरियाणा का हित सर्वोपरि है। एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा सर्वप्रथम चौधरी देवी लाल जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो उस समय भूमि का अधिग्रहण करके उसका काम शुरु हुआ था। जब पंजाब के लोगों ने ढील पैदा करने की कोशिश करी तो प्रकाश सिंह के मुख्यमंत्रीत्व काल में मेरे पिता चौधरी देवी लाल इस ईशू को सबसे पहले अदालत में लेकर गए थे। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे जो खम्बा है उस पर लिखा हुआ है कि या तो सदन में प्रवेश नहीं किया जाए अगर किया जाए तो सत्य बात कही जाए। (विघ्न) चौटाला जी ने यह असत्य कहा है। (विघ्न) अगर आप सदन में गलत बात कहेंगे या असत्य बात कहेंगे तो हम उसको दुरूस्त करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप क्या सदन से जाना चाहते हैं। (विघ्न) आप इनकी बात सुने और आपको अपनी सीट से बोलना चाहिए। (विघ्न) क्या आप सभी सदन से जाना चाहते हैं ? (विघ्न) जब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो आपकी बात को कौन सुनेगा। (विघ्न) वे पार्लियामैंट अफेयर मिनिस्टर हैं और वे सदन में रिकार्ड के अनुसार बात बताना चाहते हैं आप उनकी बात को सुनें । (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आपके पीछे खम्बे पर लिखा है कि या तो सभा में प्रवेश नहीं किया जाए और अगर प्रवेश करते हैं तो सत्य ही बोलें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज यह प्रोजैक्ट कर रहे हैं कि एस.वाई.एल. नहर के पानी का निपटारा स्वर्गीय चौधरी देवी

लाल जी ने और इनकी पार्टी ने करवाया था। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में इनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि 24 मार्च, 1976 को हमारे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 के तहत श्रीमती इन्दिरा गांधी ने निर्देश दिए थे कि हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलेगा। ये यह बताएं कि क्या यह बात असत्य है, अगर यह बात सत्य है तो ये अपना सिर झुका कर स्वीकार करें कि एस.वाई.एल. नहर के मामले का निपटारा इन्होंने नहीं करवाया था।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि 1977 में मैं भी एम०एल०ए० था। चौधरी देवी लाल जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी का मैम्बर था। उस समय एक इन्वीटेशन छपा था कि प्रकाश सिंह बादल एस०वाई०एल० नहर की खुदाई शुरु करने का पत्थर रखेंगे और चौधरी देवी लाल जी उस फंक्शन को प्रिजाईड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वह इन्वीटेशन मुझे भी आया था और मैंने उस इन्वीटेशन को आज भी सम्भाल कर रखा हुआ है। पंजाब हरियाणा के बाकी लोगों को भी ये लैटर आए थे लेकिन वह तारीख आज तक नहीं आयी वह तारीख कभी नहीं आई। न तो फंक्शन हुआ और न पत्थर रखा गया तथा न हीं किसी ने प्रिजाईड किया। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा कोई और झूठ नहीं है। इन्होंने उस वक्त जो मुकदमा किया था वह प्रकाश सिंह बादल से सलाह करके इस बात को कुंए में डालने के लिए किया था। कांग्रेस ने जनवरी, 1981 को दोबारा से वह तीनों केस विदड्रा करवाकर तीनों स्टेटस से फैसला करवाकर फिर से हरियाणा को पानी दिया और पंजाब से कमिटमैंट करवायी कि वे दो साल में नहर बनवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इराडी ट्रिब्यूनल का केस भी मैंने लड़ा था। 1982 से लेकर 1987 तक जब मैं मंत्री था तो कांग्रेस के उसी राज में ही 85 परसैंट यह नहर बनी थी। इन्होंने तो इस बारे में कुछ नहीं किया। ये तो असल में हरियाणा के पानी के सबसे ज्यादा विरोधी रहे हैं। ये तो यह चाहते थे कि किसी भी तरह हरियाणा को पानी न मिले। इस तरह से झगड़ा होता रहा और ये बार बार इस मामले को लेकर वोट लेते रहे। इनका तो यह पोलिटिकल गेम रहा है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को एक बात आज तक याद नहीं आयी कि जब बादल साहब ने यह बयान दिया कि हम पंजाब वाटर अर्मिनेशन ऐक्ट की सैंक्शन 5 को लैजिसलेशन के थ्रू डिलीट कर देंगे तो इन्होंने आज तक एक बार भी यह नहीं कहा कि प्रकाश सिंह बादल ने हरियाणा के खिलाफ क्यों इतना भंयकर बयान दिया है। ये अब एस०वाई०एल० कैनाल का जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन इन्होंने उनके बयान के बारे में कुछ नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात के लिए रूलिंग चाहता हूं कि जो मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हो और जिस मामले की जल्दी ही बहस के लिए तारीख तय हो तथा जिस मामले से दोनों प्रदेशों खासकर हरियाणा के किसानों का भविष्य निर्भर करता हो तो क्या एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए एक सीनियर मैम्बर को यह शोभा देता है कि उस लम्बित मामले का वह यहां पर जिक्र करे। सर, मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई भी मैटर जो सब जुडिश हो उस पर कोई भी डिसकशन या चर्चा सदन में नहीं हो सकती।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी यह कहते हैं कि मेरे पारिवारिक संबंध प्रकाश सिंह बादल के साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हरियाणा में राज

[श्री रामकिशन फौजी]

किया है। हरियाणा के लाखों लोगों का बादल साहब पानी नहीं दे रहे हैं जिसके कारण लाखों लोग हमारे प्यासे मर रहे हैं। पानी न मिलने की वजह से हमारे प्रदेश के बच्चे भूखे मरेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात ओम प्रकाश चौटाला जी से पूछना चाहता हूं कि क्या लाखों लोगों की हिमायत के लिए एक परिवार से संबंध रखना उन लाखों लोगों को मारने जैसा नहीं है क्या ये उस परिवार से लाखों लोगों की हिमायत के लिए संबंध तोड़ेगें ? अध्यक्ष महोदय, इनको उस परिवार से संबंध तोड़ना चाहिए और हमारे साथ चलना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि 24 मार्च, 1976 को इसका फैसला हुआ था। लेकिन उसके बाद देश में एमरजैन्सी लगी। दो साल तक उस नहर को कम्पलीट किया जा सकता था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणामस्वरूप आज तक यह मामला लटक गया है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय से इस नहर का फैसला करवाने में हमारी सरकार सफल हुई। हमारे समय में ही सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह एस०वाई०एल० कैनाल को एक साल के अंदर-अंदर बनाएगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये फिर असत्य कह रहे हैं। मैं फिर आपके माध्यम से हाथ जोड़कर इनसे विन्रम अनुरोध करूंगा कि आपके पीछे जो लिखा हुआ है उसको ये अवश्य पढ़ लें। अध्यक्ष महोदय, जो पहले इनकी सरकार के समय में इस बारे में मुकदमा किया था तो उसके बाद 1981 में जब फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने ट्राईपार्टाईट ऐग्रीमैंट करवाया था। इस ऐग्रीमैंट में राजस्थान भी शामिल था, पंजाब भी शामिल था और हरियाणा भी शामिल था। उसके बाद ही हरियाणा को फिर 3.5 एम०ए०एफ० पानी दिया गया था। लेकिन इसके बाद फिर इन्होंने अकाली दल को कहकर मोर्चे लगवाए थे और इस नहर को बनने नहीं दिया था। अध्यक्ष महोदय, जब पंजाब आग की लपटों में झुलस रहा था तो उस समय राजीव गांधी जी ने उन सब बातों को छोड़ते हुए जुलाई, 1985 में राजीव लौगोंवाल समझौता किया था और इराडी कमीशन बनाने का निर्णय किया था। मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं कि इन्होंने इराडी कमीशन का बायकाट किया था ? अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की जांच के लिए एक कमेटी बना दें इस बात की जांच होनी ही चाहिए। क्या यह सच नहीं कि इन्होंने इराडी कमीशन को काले झंडे दिखाए थे और क्या यह सच नहीं कि इन्होंने इराडी कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे ? जब हम हरियाणा का केस लड़ते थे तो ये उसका विरोध करते थे। क्या यह सच नहीं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केस लड़कर 3.5 एम०ए०एफ० पानी इराडी कमीशन से लिया था ? जब जून, 1987 में इनकी सरकार आयी तो ये बताएं कि 1987 से लेकर 1991 तक क्यों इन्होंने हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं की जबकि इनके पिता उप-प्रधानमंत्री थे, ये मुख्यमंत्री थे और वर्मा साहब को इनके कहने पर ही पंजाब का राजपाल लगाया गया था ? उस समय ये क्यों सोए हुए थे ? अध्यक्ष महोदय, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। आप इस बात के लिए भी एक कमेटी बना दें ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाए। क्या यह बात सच नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने एस०वाई०एल० नहर के मामले को लेकर मुकद्दमा दायर किया था जिसका निर्णय हमारे हक में आया। चौटाला जी ने एस०वाई०एल० नहर के मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटी सेकी और उस पर राजनीतिक रोटी सेक कर उस पर भी वोट बटोरने का काम किया।

19.00 बजे **श्री ओम प्रकाश चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, राजीव-लौंगोवाल समझौता की क्लाज 9(1) को शायद सरकार ने पढ़ा नहीं है। हमने उस समझौते का विरोध इसलिए किया था क्योंकि उसमें यह लिखा हुआ था।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, जो एस.वाई.एल. नहर से परटेनिंग मामला है वह सब-ज्यूडिश है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मेरे नोटिस में नहीं बल्कि सदन के नोटिस में लाओ क्योंकि आप सदन में बोल रहे हैं।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, चौटला साहब यह बात तो मान गये हैं कि इन्होंने राजीव लौंगोवाल समझौते का विरोध किया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सब-ज्यूडिश कैसे हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल रैफरैंश दिया है। रैफरैंश भी इस बात के लिए दिया है कि क्या यह मामला संविधान के मुताबिक है या नहीं और जो पंजाब की सरकार ने एक्ट बनाया था उसके बारे में केन्द्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केवल यह पूछा है कि क्या यह एक्ट संविधान के मुताबिक है या नहीं जबकि सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस बारे में कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन नहीं है और न ही कोई मामला लम्बित है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जब पंजाब सरकार ने टर्मिनेशन ऑफ एक्ट का कानून पास किया उस समय चौटाला साहब इस तरफ बैठा करते थे, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार उसके बाद भी कई महीने रही। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी से कई बार यह मांग की कि आप इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं देते। लेकिन चौटाला साहब सरदार प्रकाश सिंह बादल के कहने पर इस मामले पर चुपी साधे रहे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई केस नहीं था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार बनने के बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, हमारे नहरी मंत्री और बाकी माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार के पास, सरदार मनमोहन सिंह जी के पास गये और उनसे अनुरोध किया कि इस विधेयक को खत्म किया जाए। स्पीकर सर, आपको तो यह मालूम है कि केन्द्रीय सरकार दो प्रान्तों के मामले में कोई दखलअंदाजी नोरमली नहीं करती। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अप्रत्याशित कदम उठाये और धारा 143 का उपयोग किया और एक संवैधानिक खण्डपीठ के पास सरदार मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी ने भेजा ताकि हरियाणा के हितों पर कोई कुठाराघात न कर सके। परन्तु चौटाला साहब की सरकार इस फैसले के आने के बाद भी सोई पड़ी थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय में वह जाता है जिसके खिलाफ फैसला हो। फैसला हमारे पक्ष में था। पंजाब की सरकार ने उस नहर को बनाना था। लेकिन उसने नहीं बनाया। उसके बाद केन्द्र की सरकार के सुपुर्द यह मामला किया और केन्द्र की सरकार ने लिखित रूप में इस नहर को बनाने का काम सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिया। यह सरकार सैक्शन 5 की बात करती है हम तो पूरे के पूरे एक्ट के खिलाफ थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये इस एक्ट के पक्ष में हैं जिसे पंजाब सरकार ने पास किया है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, सवाल यह था कि जब पंजाब सरकार ने टर्मिनेशन ऑफ एक्ट को पंजाब विधान सभा में पास किया तो आपकी सरकार ने उस एक्ट को चेलेंज क्यों नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उसको चेलेंज किया गया था। इसके लिए हम तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से मिले थे।

श्री अध्यक्ष : सर्वोच्च न्यायालय में चेलेंज नहीं किया गया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : वहां पर जाने की हमारी सरकार को आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब हरियाणा के हितों को सुरक्षित नहीं रखना चाहते थे इन्हे शर्म आनी चाहिए। आज ये सदन में खडे होकर एस.वाई.एल. नहर के लिए हरियाणा के हितों की बात करते हैं।

Mr. Speaker : Chaudhary Sahib, please conclude your speech, Resume the discussion on the Governor's Address.

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिस राजीव लौंगोवाल समझौते का जिक्र किया गया है वह दो पार्टियों के बीच का समझौता था। वो कोई सरकारी समझौता नहीं था। एक अकाली दल और एक कांग्रेस पार्टी के बीच में समझौता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात भी असत्य है, जब वे कोई बात ठीक से कहते ही नहीं तो हमें बीच में बोलना तो पड़ेगा ही। स्पीकर सर, देश के प्रधानमंत्री के साथ यह समझौता हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप दो साल में पहली बार हाउस में आये हो। आपके हल्के की भी कुछ समस्याएं होंगी आप उनको उठाईये, आप उन पर बात करिये ताकि उनका समाधान हो सके।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : मेरे हल्के की कोई समस्या नहीं है मैं तो हरियाणा प्रदेश की बात करूँगा। मेरे सामने प्रदेश का हित है और मैं प्रदेश के हित की बात करना चाहता हूँ। आप मुझे समय दीजिए मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी स्पीच को कनकलूड कीजिए।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : मैं कनकलूड करूँगा लेकिन आप इनको रोकिये तो सही। जुलाई, 1985 में जो समझौता हुआ वो दो पार्टियों का समझौता था और उस समझौते के मुताबिक हरियाणा प्रदेश * * * * * * * * *(शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded.

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय * * * * * * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस ब्यान से इनके जो काले कारनामे हैं वो नहीं छिपने वाले। सर, यह देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी और सन्त हरचरण सिंह लौंगोवाल के बीच में किया गया समझौता था जिस पर देश की संसद ने सर्वसम्मति से मौहर लगाई। **(शोर एवं व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए बहुत समय चाहिए । एस०वाई०एल० कैनाल हरियाणा की जीवन रेखा है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप इस प्वायंट को टच नहीं करें। यह मामला सब-ज्युडिस है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह मामला सब-ज्यूडिस नहीं है। इसमें तो केवल रैफरैंस दिए है।

Mr. Speaker : What is the definition of reference ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप मेरी बात को सुन तो लें। पंजाब की सरकार ने 12 जुलाई, 2004 को जो जल समझौता निरस्त करने का ऐक्ट पास किया था उस बारे में केन्द्र सरकार ने उनसे रैफरैंस मांगा है। उनसे यह पूछा गया है कि क्या यह संवैधानिक है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि यह मामला सब-ज्युडिस है कि नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं है।

Mr. Speaker : For the judgement of the Supreme Court, this case is pending.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह आपकी अपनी सरकार ने लिखा है S.C. has no jurisdiction over the water dispute. यह मैं नहीं कह रहा हूं यह हरियाणा सरकार कह रही है।

श्री अध्यक्ष : अब आप यह कहां से ले आए ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी फिर से भूल गए, हमेशा ये भूल जाते हैं कि जब भी सदन में प्रवेश करें तो सत्य बोलना चाहिए। Supreme Court has the jurisdiction of everything. सच बात यह है कि एस०वाई०एल० कैनाल वाले मामले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और इनकी पार्टी पूरी तरह से दोषी है और इनको पता भी है। (विघ्न) इनकी आत्मा इनको अन्दर से दिन में भी और रात को भी कचोटती है। ये हरियाणा के किसानों के हितों पर कुठाराघात करते थे। जब पंजाब गवर्नमैंट ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एक्ट पंजाब की विधान सभा में पास किया था तो उस वक्त चौटाला साहब हरियाणा में मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने इस बारे में चुनौती क्यों नहीं दी थी ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आई तो उसके बाद हम केन्द्र की सरकार के पास गए थे और उसके बाद ही यह मामला धारा 143 के अन्दर रैफरैंस में गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर पर बोल रहा हूं और सदन में यह परिपाटी रही है कि जब भी कोई सदस्य प्वाइंट ऑफ आर्डर पर बोल रहा होता है तो दूसरे सदस्यों को सीट पर बैठ जाना चाहिए। अगर ये इस तरह से शोर शराबा करेंगे फिर तो सदन का समय नष्ट होगा ही। अगर आप बात कह रहे हैं तो आपके अंदर सुनने का भी माद्दा होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन की गरिमा रखी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने इन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब इनके अपने नेता खड़े हों तो इनको उनकी बात सुननी चाहिए। अगर कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर हुआ है तो उनकी बात भी इनको सुननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस०वाई०एल० कैनाल का सवाल है मैं इस बारे में विपक्ष के कंस्ट्रक्टिव सुझावों का स्वागत करूंगा क्योंकि यह हमारे लिए जीवन रेखा है। अगर इस बारे में इनकी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। मैं भी जब विपक्ष का नेता था और जब ये प्रस्ताव लेकर आये थे तो उस समय भी मैंने कहा था कि आप इस मामले को लेकर जहां भी चलेंगे वहां हम आपके साथ चलेंगे और सबसे पहले कस्सी चलाएंगे। इसलिए अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव ये लेकर आएंगे तो ये बोल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम जवाब देते वक्त उसका वाजिब जवाब भी इनको दे देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने सही तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि खेतीबाड़ी तभी कामयाब हो सकती है जब उसके लिए पूरी बिजली मिले, पूरा पानी मिले, पूरा खाद मिले, अच्छे बीज मिले और अच्छे भाव मिलें। एस०वाई०एल० कैनाल हमारे लिए जीवन रेखा है उसके पानी की वजह से हमारे कृषि प्रधान प्रदेश की हालत सुधर सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कई लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन एक सम्मानित सदस्य ने तो यहां तक कहा था कि हमने इराडी ट्रिब्यूनल का विरोध किया था और उसको काले झंडे दिखाए थे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की ***** बातें इनको नहीं करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष :यह शब्द हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए क्योंकि यह शब्द अनपार्लियामैंट्री है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द बिल्कुल भी अनपार्लियामैंट्री नहीं है बल्कि यह शब्द पार्लियामैंट्री है। आप तो कम से कम इसकी स्टडी कर लिया करो। यह शब्द अनपार्लियामैंट्री बिल्कुल भी नहीं है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण (परिवहन मन्त्री द्वारा)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, ऑन ए प्वायंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। सर, कल जो मैंने बात कही थी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसके बारे में ही कुछ हुई बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये अभी भी टीका टिप्पणी करेंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, अब ये बात नहीं सुनेंगे। इनको अब हमारी बात भी सुननी चाहिए। इनमें हमारी बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। अब ये कुछ क्यों चाहते हैं ? अब ये कुल्हड़ी के अंदर क्यों अपना मुंह देकर रोना चाहते हैं ?

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, अब ये किस तरह बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, ये प्वायंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोल रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर अपनी बात कह के लिए खड़ा हूं। मैंने कल जो अपनी बात कही थी उसी से इन माननीय सदस्य की बात जुड़ी हुई है। स्पीकर सर, मुझे सदन के कानून के तहत, नियमों के तहत अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है। स्पीकर सर, मैं यह बात फिर सदन की जानकारी के लिए दोहराना चाहता हूं कि 24 मार्च, 1976 को इंदिरा गांधी ने अवार्ड दिया था जिसके तहत 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा को दिया गया था। उस समय चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री नहीं थे। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आयी तो उस समय चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे। प्रकाश सिंह बादल की मदद करने के लिए इधर ये इस पूरे अवार्ड के मामले को न्यायालय में ले गये और उधर बादल साहब इसको न्यायालय में ले गए। जब इनकी सरकारें गयी तो 1981 में इंदिरा गांधी जी ने फिर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बुलाया क्योंकि वे उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और बुलाकर इनका समझौता करवाकर 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा को दिलवाया। उसके बाद जुलाई, 1985 में राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ लेकिन इनके मित्र सरदार प्रकाश सिंह बादल ने उस समय मोर्चे लगाकर हमारी यह नहर नहीं बनने दी। इस काम में इनकी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सहमति थी। जब राजीव लौंगोवाल एकोर्ड में यह प्रावधान किया गया कि इराडी कमीशन का गठन होगा जो हरियाणा के पानी के हकों का निर्धारण करेगा और जब कांग्रेस की सरकार यह केस लड़ रही थी तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला और इनकी पार्टी ने इराडी कमीशन को जिसने हरियाणा को उसका हक दिया था, को साईमन कमीशन की संज्ञा दी थी और उसको काले झंडे दिखाये थे। स्पीकर सर, इनको तो उस समय हरियाणा की कांग्रेस सरकार का समर्थन करना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि हम सारे भाई इस मामले में पार्टियों से ऊपर उठकर एक हैं और इस पानी पर हमारा हक है इसलिए आइये हम मिलकर यह पानी लेंगे। लेकिन ये पानी लेने के लिए नहीं गए क्योंकि इनको खतरा था कि अगर हरियाणा को पानी मिल गया तो इनकी वोटों की सस्ती राजनीति किस प्रकार से चलेगी ? स्पीकर सर, इराडी कमीशन ने हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया था। कल चौटाला साहब ने पहली बार यह बात मानी, चलो अच्छी बात है और मैं इसके लिए इनकी तारीफ भी करता हूं कि पहली बार इन्होंने जिंदगी में यह माना कि 24 मार्च, 1976 का अवार्ड श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कल इन्होंने यह भी स्वीकार किया हालांकि यह इन्होंने बड़े घबराते-घबराते हुए स्वीकार किया कि इन्होंने इराडी कमीशन को काले झंडे दिखाए थे और उसका विरोध किया था। स्पीकर सर, जून 1987 में इनकी सरकार बनी और पहले इनके पिता जी मुख्यमंत्री बने तथा उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। 1991 तक इनका शासन रहा। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये क्या है, क्या यह इनका प्वायंट ऑफ आर्डर है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर अपनी बात कह रहा हूं। अगर बीच में सदस्य इस प्रकार से विरोध करेंगे तो यह सही नहीं होगा। अगर ये गलत बात बोलेंगे तो इन को सुननी भी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी आप जवाब दे सकते हैं। आप तो काफी तजुर्बेकार हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : जब भी इनके ढोल की पोल खुलती है तब-तब इनको तकलीफ होती है। 1987 में इन के पिताजी मुख्यमंत्री बने। बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाकर वे उपप्रधानमंत्री बने और श्री वर्मा को पंजाब का गवर्नर लगाया गया। 1987 से लेकर 1991 तक इनकी सरकार थी और इराडी कमीशन का फैसला 1986 में हमारे हक में आ गया था। अगर हरियाणा में इनको एस०वाई०एल० कैनाल का पानी लाना था तो उस समय ला सकते थे क्योंकि उस समय इनके पिता जी दिल्ली में उपप्रधान मंत्री थे, हरियाणा में इनकी सरकार थी और पंजाब में गवर्नर भी इनके थे लेकिन तब ये इसलिए सोये रहे कि कहीं बादल साहब के हितों पर कुठाराघात न हो जाए। 1995 में दोबारा कांग्रेस की सरकार ने इस बारे में मुकदमा दायर किया। ये उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा से एस०वाई०एल० कैनाल के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का और वोट बटोरने का काम किया है। इनके हाथ तो किसानों के खून से रंगे हुए हैं। सर, आप रिकार्ड निकलवा कर दिखाइए, खुद चौटाला साहब ने माना है।